न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील / 08 / 2021 दायर दिनांकः 23.09.2021

उनवान

1. कौशल्याबाई पुत्री शिवलाल पत्नि बीरमलाल जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल

——अपीलांटस

बनाम

1. गोकुल आत्मज शिवलाल जाति दांगी निवासी सलोतिया तहसील सुनेल
2. सरपंच ग्राम पंचायत सलोतिया पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल
3. तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड राज.
4. लीलाबाई पत्नि प्रकाश जाति दांगी निवासी सलोतिया तहसील सुनेल
5. संगीताबाई पत्नि जगदीश जाति दांगी निवासी सलोतिया तहसील सुनेल
6. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुनेल
7. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा झालावाड राज.

— रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील इन्तकाल सं. 701 दिनांक 21.10.2013 ग्राम पंचायत सलोतिया अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वकील अपीलांटस :— श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील रेस्पोडेन्टस सं. 1, 4, 5 :— श्री रमेशचन्द सोनी

आदेश दिनांक : 30.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सलोतिया पटवार हल्का सलोतिया तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल में अपीलाण्ट के पिता शिवलाल आत्मज भैरू जाति दांगी निवासी सलोतिया की सम्वत 2058 से 2061 की जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 73 की कुल किता 12 कुल रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा आराजी थी जिसमे अपीलाण्ट के पिता का 1/2 हिस्सा निहित था। वर्तमान खाता संख्या 41 (जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के अनुसार) की कुल किता 10 कुल रकबा 2.4786 हैक्टेयर एवं खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

295 का खसरा नम्बर 628 रकबा 2.5166 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 42 का खसरा नम्बर 516 रकबा 0.0126 हैक्टेयर आराजी है। यह कि अपीलाण्ट के पिता शिवलाल की मृत्यु हुई जिनका फौती नामान्तरण संख्या 500 दिनांक 03.10.2006 को तस्दीक हुआ शिवलाल के स्थान पर उनके वारिसान गोकुल पुंत्र कौशल्याबाई (अपीलाण्ट) फुलबाई पुत्रियां एवं बेवा कंचनबाई का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ। यह कि सह खातेदार फुलबाई ने गोकुल के पक्ष मे हकत्याग कर दिया तो उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे से कम होकर गोकुल का 1/4 हिस्सा कौशल्याबाई (अपीलाण्ट) का 1/8 हिस्सा तथा कंचनबाई का 1/8 हिस्सा तथा प्रभुलाल आत्मज भैरू का 1/2 हिस्सा से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया इसके पश्चात कंचनबाई माता ने गोकुल पुत्र रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में दिनांक 07.08.2013 को अपने 1/8 हिस्से का रजिस्ट्रर्ड हकत्याग किया जिसका नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 21.10. 2013 को रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने तस्दीक किया यह नामान्तरण अपील मे विवादित होने से अपीलाण्ट द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय में पेश करती है। यह कि नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 21.10.2013 को हकत्याग संख्या 692 दिनांक 07.8.2013 के आधार पर रेस्पोडेंट नम्बर 2 के द्वारा तस्दीक किया गया जिसमे अपीलाण्ट के 1/8 हिस्से का भी हकत्याग बताते हुऐ कंचनबाई के साथ अपीलाण्ट का नाम भी राजस्व रिकार्ड में से हटा दिया जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में कोई हकत्याग नही किया और ना ही किसी प्रकार का दस्तावेज अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में लिखा है लेकिन रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 तथा तत्कालीन हल्का पटवारी सलोतिया ने मिली भगत कर फर्जी तरीके से कंचनबाई के हकत्याग के दस्तवेज से ही अपीलाण्ट के 1/8 हिस्सा का भी हकत्याग बताकर राजस्व रिकार्ड मे से अपीलाण्ट का नाम हटा दिया है। जो अवैधिनिक है इसलिए नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 21.10.2013 निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में उसके पिता शिवलाल की मृत्यु के पश्चात दर्ज हुआ था तथा इसके बाद अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में कोई दस्तावेज पंजीयन नही करवाया है [illegible] ग्राम पंचायत सलोतिया के तत्कालीन सरपंच रेस्पोडेंट नम्बर 2 [illegible] नम्बर 1 एवं तत्कालीन हल्का पटवारी सलोतिया [illegible] के

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

हिस्से की आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दी है। जो गैरकानूनी है इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होकर नामान्तरण संख्या 701 खारीज होने योग्य है। यह कि वर्तमान खाता संख्या 295 का खसरा नम्बर 628 रकबा 2.5166 हैक्टेयर आराजी को रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 को बैचान कर दी है जिसमे रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलाण्ट का 1/8 हिस्सा भी बैचान किया है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था क्योकि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सलोतिया एवं तत्कालीन हल्का पटवारी सलोतिया से मिली भगत कर इस खसरा नम्बर मे से भी अपीलाण्ट का नाम फर्जी तरीके से समाप्त किया है। इसलिए अपीलाण्ट खसरा नम्बर 628 में भी अपने 1/8 हिस्से तक आराजी को प्राप्त करने की अधिकारी है। रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 ने गलत तरीके से अपीलाण्ट का हिस्सा भी खरीद किया है इसलिए उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 6 व 7 को उनके यहा आराजी रहन होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। यह कि अपील अपीलाण्ट माननीय न्यायालय में अवधि मध्य पेश है क्योकि अपीलाण्ट अपने ससुराल में रहती है और रेस्पोडेंट नम्बर 1 क यहा उसका आना जाना नही है इसलिए अपीलण्ट को नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 21.10.2013 की दिनांक 01.09.2021 से पूर्व कोई जानकारी नही थी अपीलाण्ट अनपढ है और राजस्व रिकार्ड के बारे मे नही समझती है तो अपीलाण्ट ने दिनांक 01.09.2021 को हल्का पटवारी सलोतिया से राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की तब जाकर अपीलाण्ट को इस विवादित नामान्तरण की जानकारी हुई है जानकारी होने के पश्चात अविलम्ब राजस्व रिकार्ड एवं हकत्याग की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अपील माननीय न्यायालय में पेश है अपीलाण्ट की अपील पेश करने में हुई देरी माफी योग्य है। अपील के मेमो के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। यह कि अपील अपीलाण्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय मे पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 701 में दिनांक 21.10.2013 को पारित आदेश खारीज किया जाकर ... को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट के 1/8 हिस्से पर पुनः राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने का आदेश पारित किये जाने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैटस सं. 2, 3, 6, 7 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 12.12.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। **रेस्पोडेन्टस सं. 1, 4, 5 की ओर से एडवोकेट श्री रमेशचन्द सोनी ने वकालामनामा पेश कर जवाब अपील पेश नहीं करके सीधी बहस का निवेदन किया।**

3. अपीलांट की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम सलोतिया नामान्तरण संख्या 701 दिनांक 21.10.2013 की सत्यप्रति, ग्राम सलोतिया का खाता सं. 41, 42, 295 की जमाबंदी सं. 2074–77 की नकल, खाता सं. 37 की जमाबंदी सं. 2070–73 की नकल, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 07.08. 2013 की प्रति, ग्राम सलोतिया का खाता सं. 173 की जमाबंदी सं. 2058–61 की नकल प्रति एवं **न्यायिक दृष्टांत घीसाराम व अन्य बनाम चुन्नीलाल व अन्य आरआरटी 2003 (1) पेज सं. 513** पेश की।

4. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सलोतिया पटवार हल्का सलोतिया तहसील सुनेल की आराजी खाता सं. 173 किता 12 रकबा 19–16 बीघा अपीलांटस के पिता शिवलाल पुत्र भेरू हि. 1/2 में दर्ज रिकार्ड थी। शेष हिस्सा 1/2 प्रभूलाल पि. भेरू के खाते दर्ज थी। अपीलांटस के पिता सहखातेदार शिवलाल की मृत्यु के बाद उनके फोती नामान्तरण सं. 500 से उनके वारीसान गोकुल पुत्र, कौशल्याबाई व फूलबाई पुत्रियां एवं कंचनबाई बेवा का नाम हिस्सा 1/8–1/8 दर्ज हुआ। बाद में सहखातेदार बहिन फूलबाई पुत्री शिवलाल ने अपने हिस्से 1/8 का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपने भाई गोकुल के पक्ष में किया। जिसके बाद राजस्व रिकार्ड में गोकुल का हिस्सा 1/4 (1/8+1/8=1/4) दर्ज हुआ। शेष सहखातेदारान [illegible] का हिस्सा 1/8, बेवा कंचनबाई का हिस्सा 1/8 एवं प्रभूलाल पि. [illegible] का हिस्सा 1/2 यथावत दर्ज रहा। इसके बाद [illegible] कंचनबाई बेवा शिवलाल ने खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सं. 36 किता 12 रकबा 19–16 बीघा में अपने हिस्से 1/8 का जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 07.08.2013 से अपने पुत्र गोकुल पि. शिवलाल के पक्ष में हकत्याग किया जिसका नामा.सं. 701 दिनांक 07.08.2013 दर्ज हुआ था। हकत्याग का नामा.सं. 701 खोलते समय हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 9 व 16 में हकत्यागकर्ता कंचनबाई के 1/8 हिस्से के स्थान पर गोकुल पि. शिवलाल हि. 1/8 व शेष बदस्तूर अंकित किया गया जो सही था। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच अनुसार हकत्यागकर्ता कंचनबाई के स्थान पर हकत्याग ग्रहिता गोकुल का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया जो कि सही था **लेकिन राजस्व कार्मिको के द्वारा उक्त नामा.सं. 701 का राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में अमल दरामद करते समय बिना किसी आदेश एवं अधिकार के गैर कानूनी रूप से अपीलांट कौशल्याबाई हिस्सा 1/8 का नाम हटाकर पूरा हिस्सा गोकुल पि. शिवलाल के खाते दर्ज कर दिया गया जिससे चौसाला जमाबंदी सं. 2074–77 में गोकुल पि. शिवलाल हि.1/2 एवं प्रभूलाल पि. भेरू हि.1/2 दर्ज रिकार्ड किया गया।** अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया गया कि अपीलांट कौशल्याबाई द्वारा कभी भी अपने हिस्से 1/8 का किसी के पक्ष में भी कोई हकत्याग नहीं किया है और न ही ऐसे किसी हकत्याग का उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन करवाया है और न ही ऐसा कोई अंकन राजस्व रिकार्ड में कही किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ग्राम पंचायत, रेस्पोडेन्ट सं. 3 तहसीलदार एवं हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से सांठ गांठ कर बिना किसी हकत्याग पत्र व विधिक आदेश के राजस्व रिकार्ड से अपीलांट का नाम कम करके उनके हिस्से की आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खाते गैर कानूनी रूप से दर्ज की गई **जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से खारीज किये जाने योग्य** है। यह **नामान्तरण सं. 701 ग्राम पंचायत** द्वारा अपीलांट को सूचित किये बिना व सुने बिना चुपचाप रेस्पोडेटस सं. 1 के साथ षडयंत्र पूर्वक तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी जमाबंदी की पटवारी से नकल लेने पर अपीलांट को दिनांक 01.09.2021 को हुई थी। अपीलांट्स ना[illegible] होने से अपने ससुराल में निवासरत थी एवं पूर्णतया अ[illegible] नामांतरण गलत तरीके से तस्दीक किये जाने का [illegible] ला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

अपीलांट्स द्वारा विलंब में देरी के लिए माफी के लिए **धारा 5 लिमिटेशन एक्ट** का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः ऐसे नामान्तरण या अंतरण जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध है, की अपील करने की कोई समय सीमा एक्ट में तय नहीं की गई है। कूटरचित तरीके से षडयंत्र पूर्वक विधि विरूद्ध किये गये नामान्तरण सं. 701 के ज्ञान होने की तारीख से ही कभी भी अपील की जा सकती है। ऐसे **void ab initio** नामान्तरण को चुनौती देने के लिए मियाद बाधक नहीं होती है बल्कि ऐसे प्रकरणों को प्रकरण के संज्ञान में आने की तारीख की मियाद से हमेशा गुणावगण पर निर्धारित किया जाकर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जावे।

5. अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे तर्क किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रभूलाल ने वादग्रस्त शामलाती आराजी खाता सं. 37 किता 12 रकबा 19–16 बीघा में से अपने हिस्से 1/2 का बेचान केला संगीताबाई पत्नि जगदीश व लीलाबाई पत्नि प्रकाश को किया था जिसका नामा.सं. 797 दिनांक 18.05.2016 दर्ज हुआ। बाद में गोकुल पि. शिवलाल हि 1/2 तथा संगीताबाई पत्नि जगदीश व लीलाबाई पत्नि प्रकाश हि. 1/2 के मध्य वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन जरिये नामा.सं. 818 दिनांक 15.07.2016 से हुआ था जिसमें ख.नं. 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 किता 10 रकबा 9–16 बीघा रेस्पोडेन्ट सं. 1 गोकुल के खाते एवं ख.नं. 628 रकबा 9–19 बीघा रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के पृथक से खाते दर्ज हुआ। ख.नं. 516 रकबा 0–01 बीघा यथावत शामलाती रखा गया। अतः प्रारम्भ से शून्य व अवैध नामा.सं. 701 दिनांक 21.10.2013 को खारीज किया जाकर अपीलांट के हिस्सा 1/8 को पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 गोकुल के खाते से उक्त गलत तरीके से दर्ज किये गये हिस्से को कम किये जाने का आदेशं रेस्पोडेन्ट सं. 3 को फरमाया जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 4 [illegible] विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक [illegible] को ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर अपना हकत्याग करने [illegible] निवेदन किया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया जाकर अ[illegible]टस के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

1/8 का रेस्पोडेन्टस सं. 1 गोकुल के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया था। अतः अपीलांट के निवेदन पर तस्दीक किया गया नामा.सं. 701 विधि सम्मत होने से एवं अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से अपील खारीज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 4, 5 द्वारा आगे तर्क किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने ख.नं. 628 रकबा 2.5166 है. को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रिकार्डेड खातेदार प्रभूलाल पि. भेरू से वर्ष 2016 में क्रय कर अपना हिस्सा जरिये खाता विभाजन पृथक से दर्ज करा लिया है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ख.नं. 628 के बोनाफाईड केता है और इसलिए ऐसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारीज करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का होने से अपीलांट की अपील खारीज फरमायी जावे।

7. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सलोतिया की वादग्रस्त आराजी के **खाता सं. 173** कित 12 रकबा 19–16 बीघा की जमाबंदी सं. 2058–61 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रभूलाल, शिवलाल पिस. भेरू जाति दांगी के खाते दर्ज रिकार्ड थी अर्थात वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के पिता शिवलाल पि. भेरू का हिस्सा 1/2 एवं प्रभूलाल पि. भेरू हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड था। फोती नामा.सं. 500 दिनांक 03.10.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार शिवलाल पि. भेरू के फोत होने पर उसके हिस्से 1/2 पर उनके वारीसान गोकुल पुत्र, कौशल्याबाई–फूलबाई पुत्रीया व कंचनबाई बेवा का नाम हिस्सा 1/8–1/8 दर्ज हुआ। ग्राम सलोतिया की वादग्रस्त आराजी **खाता सं. 37** किता 12 रकबा 19–16 बीघा की जमाबंदी सं. 2070–73 के अनुसार गोकुल पि. शिवलाल हि. 1/4, कौशल्याबाई पि. शिवलाल हि 1/8, कंचनबाई बेवा शिवलाल हि 1/8 व प्रभूलाल पि. भेरू हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड था। अतः जाहिर है कि बहिन फूलबाई पि. शिवलाल द्वारा अपने हि 1/8 का हकत्याग अपने भाई रेस्पोडेन्ट सं. 1 गोकुल के पक्ष में किये जाने से गोकुल का हिस्सा 1/4 (1/8+1/8) दर्ज हुआ।

अपीलांट द्वारा पेश रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 07.08.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं. 36 किता 12 रकबा 19–16 बीघा की सहखातेदार कंचनबाई बेवा शिवलाल ने अपने दर्ज हिस्से 1/8 का हकत्याग अपने पुत्र ... के पक्ष में

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निरन्तर 2 पर—

Scanned with OKEN Scanner

कौशल्याबाई पुत्री शिवलाल द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग किये जाने का अंकन नहीं है। उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा तस्दीक किये गये नामा.सं. 701 दिनांक 21.10.2013 की नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्समय वादग्रस्त आराजी किता 12 कुल रकबा 19–16 बीघा में गोकुल पि. शिवलाल हिस्सा 1/4, कौशल्याबाई पि. शिवलाल हि. 1/8 व कंचनबाई बेवा शिवलाल हिस्सा 1/8 सहखातेदार व प्रभूलाल पि. भेरू हि. 1/2 के रूप में दर्ज रिकार्ड थे। उक्त नामान्तरण की पंजिका के कालम सं. 14 व 15 के अवलोकन से जाहिर है कि हल्का पटवारी सलोतिया ने मुताबिक हकत्याग पत्र दिनांक 07.08.2013 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 74 पृष्ठ सं. 69 क्र.सं. 692 के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने हेतु रिपोर्ट दिनांक 26.09.2013 ग्राम पंचायत सलोतिया के समक्ष पेश किया गया। **उक्त नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हकत्याग के नामान्तरण के बाद हकत्यागकर्ता कंचनबाई के स्थान पर हकत्याग ग्रहिता गोकुल पि. शिवलाल का हिस्सा 1/8 व शेष बदस्तूर रखा गया जो कि सही होना जाहिर होता है।** ग्राम सलोतिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 37 किता 12 की जमाबंदी सं. 2070–73 दिनांक 15.04.2014 मे **अंकित विशेष विवरण के अनुसार नामा.सं. 701 दिनांक 21.10.2023 से हकत्यागकर्ता कंचनबाई का हिस्सा 1/8 पर हकग्रहिता गोकुल का नाम दर्ज किये जाने का अंकन किया गया है। अर्थात केवल कंचनबाई द्वारा ही हकत्याग किया गया था।** जमाबंदी पर अंकित अन्य टिप्पणी/नोट में भी कही पर अपीलांट कौशल्याबाई द्वारा किसी प्रकार का हकत्याग किये जाने का अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत के उक्त नामानतरण आदेश दिनांक 21.10.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी जांच, आईएलआर व सम्मोचल पत्र (अस्पष्ट) के अनुसार **हकत्यागकर्ता के स्थान पर हकग्रहिता का नाम स्वीकार करने आदेश दिये गये। नामान्तरण आदेश के साथ न तो अपीलांट के हकत्याग पत्र संलग्न है और न ही हकत्याग करने का कोई आवेदन संलग्न है।** ग्राम पंचायत की कोरम के हस्ताक्षर के जगह केवल सरपंच सलोतिया के हस्ताक्षर है। कही पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने कोई भी ऐसा दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट कौशल्याबाई द्वारा गोकुल के पक्ष में अपने हिस्से का हकत्याग किया गया था। अभिभाषक रेस्पोडेरां. 1, 4, 5 का कथन है कि अपीलांट ने ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से हकत्याग किया था लेकिन भारतीय कानून में न तो मौखिक रूप से हकत्याग किये जाने का कोई प्रावधान है और न ही ग्राम पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 21.10.2013 में भी ऐसा कोई अंकन किया है। अपंजीकृत हकत्याग पत्र का भी कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। भारतीय रजिस्टेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार 100 रूपये से अधिक मूल्य की प्रत्येक अचल सम्पत्ति के अंतरण दस्तावेज का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। **अतः साबित है कि अपीलांट कौशल्याबाई द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड या अपंजीकृत लिखित हकत्याग नहीं किया था।** ग्राम पंचायत द्वारा भी जारी आदेश दिनांक 21.10.2013 भी उचित जाहिर होता है। अतः साबित है कि ग्राम पंचायत के उक्त नामान्तरण आदेश की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश या अधिकार के अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी रूप से सहखातेदार अपीलांट कौशल्याबाई के हिस्से 1/8 को भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 गोकुल के खाते जोड कर अपीलांट का नाम हटा दिया गया जिसका रेस्पोडन्ट सं. 3 तहसीलदार या उनके अधिनस्थ राजस्व कार्मिको को कोई हक या अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 का अपीलांट कौशल्याबाई का नाम हटाने का उक्त कार्य प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध (void ab initio) होने से खारीज योग्य है। अपीलांट कौशल्याबाई के हिस्से 1/8 को गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खाते दर्ज कर गोकुल का हिस्सा 3/8 की जगह 4/8 यानि 1/2 दर्ज कर दिया गया। बाद में जरिये नामा.सं. 818 दिनांक 15.07.2016 से गोकुल व अन्य सहखातेदारो के मध्य खाता विभाजन होकर भूमि पृथक पृथक खाते दर्ज की गई थी।

8. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अवलोक[illegible]हिर है कि यह अपील सं. 2073 के करीब 5–6 वर्ष [illegible] पेश की गयी [illegible] अपीलांट का कथन है वह शादी के बाद से यानि [illegible] ससुराल में रह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

रही है और ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला है इसलिए इस विधि विरूद्ध कार्य –नामा.सं. 701 की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय किस आधार पर राजस्व कार्मिको ने अपीलांट का नाम हटाया, इसका पता वर्ष 2021 में नकल लेने पर हुआ। अभिभाषक रेसपोडेंट 1 द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर कोई स्पष्ट विरोध नही किया गया। यह तथ्य साबित है कि ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा निर्णित नामांतरण सं0 701 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (<u>void ab initio</u>) होने से खारीज योग्य है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं अपील मेरिटस के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिटस के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। इस सिद्धांत को यदि हम वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा मेरिट के संबंध में उठाये गये कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दू सुदृढ साक्ष्य पर आधारित है। तहसीलदार एवं अधिनस्थ राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी लिखित दस्तावेज के, अपीलांटस को सुने बिना, मनगढंत कथनो के आधार पर अपीलांट के हिस्से 1/8 को गोकुल के पक्ष में दर्ज करना प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य है। **ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (<u>void ab initio</u>) आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है ऐसे शून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही होती है। जिन प्रकरणों में विधि विरूद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार और बिना सुने उसके कानूनी अधिकारो से संदेहप्रद रूप से वंचित किया गया हो उन प्रकरणों को सदैव गुणागुण पर निर्णित करना ही प्राकृतिक न्याय का सिंद्धांत है।** जो नामांतरण पुर्णतया साक्ष्य के विरूद्ध किये गये सिद्ध हो तो उन्है यथावत रखे जाना कभी भी न्याय की मंशा नही होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

9. रेसपोंडेन्ट कम 7 आईसीआईसी[illegible] बैंक द्वारा [illegible] क 1 को उक्त कृषि आराजी पर कृषि ऋण दे[illegible] भूमि के [illegible] की सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से जॉच की जानी चाहिए थी। [illegible]पोंडेन्ट कम 7

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है जिसके द्वारा यह साबित होता हो कि रेसपोंडेट कम्र 7 द्वारा स्वामित्व व कब्जे की नियमानुसार तहसीलदार एवं उप पंजीयक कार्यालय से सर्च रिपोर्ट तैयार कर ऋण जारी किया गया हो। रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते गलत तरीके से दर्ज हुए अपीलांट के हिस्से 1/8 पर रेसपोंडेट क 1 को ऋण जारी करना कानून रूप से गलत है। उक्त ऋण के भुगतान की कानूनी जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 की होगी।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की आराजी पुराना खाता सं. 37 किता 12 रकबा 19–16 बीघा में रेस्पोडेन्ट सं. 1 गोकुल के पक्ष में ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा तस्दीक नामा.सं. 701 दिनांक 21.10.2013 को खारीज किये जाने की अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार की जाती है। ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की आराजी पुराना खाता सं. 37 किता 12 रकबा 19–16 बीघा के संबंध में ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा तस्दीक नामा.सं. 701 दिनांक 21.10.2013 को निरस्त किया जाकर अपीलांट कौशल्याबाई का हिस्सा 1/8 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 गोकल का हिस्सा 3/8 मानते हुए पुनः नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सुनेल तदानुसार पालना सुनिश्चित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

30/4/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner